झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–858 वर्ष 2017

नबाब अख्तर, पे0 स्वर्गीय अब्दुल लतीफ खान, निवासी ग्राम–इनायतपट्टी, डाकघर एवं थाना–उट्रान, जिला–इलाहाबाद (यू0पी0)।

.... याचिकाकर्ता

बनाम्

1. खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण (झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2000 के तहत गठित सांविधिक प्राधिकरण) अपने प्रबंध निदेशक, खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण, लुबी सर्कुलर रोड, हीरापुर, डाकघर, थाना एवं जिला–धनबाद के माध्यम से।
2. सचिव, खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण, लुबी सर्कुलर रोड, हीरापुर, डाकघर, थाना एवं जिला–धनबाद।
3. कार्यकारी अधिकारी, माडा, लुबी सर्कुलर रोड, हीरापुर, डाकघर, थाना एवं जिला–धनबाद।
4. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लुबी सर्कुलर रोड, हीरापुर, डाकघर, थाना एवं जिला–धनबाद।

.... प्रतिवादीगण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रमाथ पटनायक**

याचिकाकर्ता के लिए :– श्री तरूण कुमार सं0 1, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिएः– मेसर्स भवेश कुमार और रवि कुमार

2/दिनांकः14 फरवरी 2017

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

याची को प्रतिवादी खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण, धनबाद के अधीन स्वास्थ्य पर्यवेक्षक के पद पर नियुक्त किया गया था और खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण, धनबाद की सेवाओं से वह 31.12.2016 को सेवानिवृत्त हुआ। याचिकाकर्ता की शिकायत है कि सेवानिवृत्ति के बाद के बकाये जैसे कि ए0सी0पी0 का बकाया, ब्याज के साथ भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, छुट्टी नकदीकरण, समूह बीमा, छठा वेतन पुनरीक्षण का लाभ और अन्य लाभों का उसे अभी तक भुगतान नहीं किया गया है, हालांकि उसने अनुलग्नक–2 द्वारा एम0ए0डी0ए0 के सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपनी बात रखी है।

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि चूंकि याची के अभ्यावेदन परकोई प्रतिक्रिया नहीं दिया गया, इसलिए याची विवश होकर अपनी शिकायतों के निवारण के लिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय के समक्ष आए हैं।

दूसरी ओर, उत्तरदाता–एम0ए0डी0ए0 के विद्वान वकील निवेदन करते हैं कि याची को सक्षम प्राधिकारी अर्थात् प्रबंध निदेशक, एम0ए0डी0ए0 से संपर्क करने का निर्देश दिया जा सकता है, जो कानून के अनुसार याची की शिकायतों का निवारण कर सकता है।

ऐसी परिस्थितियों में, चूंकि यह मामला याचिकाकर्ता के सेवानिवृत्ति के बाद के कुछ बकाये और अन्य सेवा लाभों के भुगतान से संबंधित है, इसलिए याचिकाकर्ता को प्रतिवादी–प्रबंध निदेशक, एम0ए0डी0ए0, धनबाद के समक्ष सभी सहायक तथ्यों और दस्तावेजों

के साथ तीन सप्ताह की अवधि के भीतर नए अभ्यावेदन देने की अनुमति देकर रिट याचिका का निपटान किया जाता है। ऐसे अभ्यावेदन की प्राप्ति होने पर, प्रत्यर्थी–प्रबंध निदेशक, एम0ए0डी0ए0 विधि के अनुसार इस पर विचार करेगा और याची के अभिलेखों के उचित सत्यापन के बाद, 12 सप्ताह की अवधि के भीतर एक युक्तियुक्त एवं सकारण आदेश पारित करेगा जिसे याची को भी सूचित किया जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है, यदि याचिकाकर्ता की शिकायतें वास्तविक पाई जाती हैं और वह सेवानिवृत्ति के बाद के बकाया राशि और अन्य सेवा लाभों के कारण कानूनी रूप से स्वीकार्य बकाया को पाने का हकदार है, तो प्रतिवादी–एम0ए0डी0ए0 द्वारा बनाई गई योजना के अनुसार भी इनका संवितरण किया जाएगा, जो एम0ए0डी0ए0 के सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर लागू है।

6. तदनुसार, रिट याचिका को उपरोक्त शर्तों में निपटाया जाता है।

(प्रमाथ पटनायक, न्याया0)